☎ 2286710, 2286709
राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांकः–3698 /01/29/HFA-11/2017–18 दिनांकः–28 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–**प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत जनपद की समस्त नगर निकायों के पृथक खाते खोले जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में प्रदेश की विभिन्न नगर निकायों में नये आवासों की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा अवशेष नगर निकायों हेतु डी0पी0आर0 स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराना है कि जनपद की समस्त निकायों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) प्रारम्भ किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निकायवार पृथक–पृथक खाते डूडा स्तर पर खाले जाने है, जिन्हें पब्लिक फाइनेन्स मैनेजमेंट सिस्ट्म (PFMS) से लिंक किया जायेगा। उक्त खातों का संचालन अन्य योजनाओं की भांति जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा एवं परियोजना निदेशक, डूडा के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि सूडा मुख्यालय से अब तक जनपद/डूडा स्तर पर जिस खाते में धनराशि अंतरित की गयी, वही मुख्य खातों के रूप में मान्य होगा तथा निकाय स्तर पर पृथक रूप से नये खातों का निकायवार पंजीकरण किया जायेगा तथा मुख्य खाते से सभी निकायों के खातों में उन निकायों से सम्बन्धित धनराशि ही अंतरित की जायेगी। लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन पी0एफ0एम0एस0 सिस्टम पर डी0बी0टी0 हेतु किया जायेगा, तदुपरान्त ही नियमानुसार प्रथम किश्त की धनराशि सम्बन्धित लाभार्थियों के खातों में हस्तानान्तरित की जायेगी। खाता निम्नानुसार खोला जायेगाः–

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), न0पा0परि0/न0पं0 .... जनपद ....

जनपद की सभी निकायों से संबंधित लेजर अलग–अलग रखा जायेगा। उक्त निकाय से संबंधित लेजर में उस निकाय से संबंधित प्राप्त धनराशि तथा लाभार्थियों के भुगतान का विवरण

क्रमशः........2 पर

अनुदान संख्यावार रखा जायेगा। संबंधित समस्त अभिलेख स्कैन करके प्रत्येक माह की 05 तारीख तक ई–मेल hfaup1@gmail.com पर प्रेषित किये जायेगें तथा जनपदीय डूडा कार्यालय में भी उसे कम्प्यूटर पर संरक्षित किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए जनपद की समस्त निकायों के पृथक–पृथक खाते डूडा स्तर पर खुलवाते हुए पी0एफ0एम0एस0 से लिंक करवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. वित्त नियन्त्रक, सूडा, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. श्री योगेश आदित्य, सहा0 परियोजना अधिकारी, सूडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्राप्त सूचनाओं के अलग से कम्प्यूटर पर एक फोल्डर बनाकर उसमें जनपदवार सबफोल्डर के अनुसार सूचना व्यवस्थित करें तथा उसमें प्रत्येक जनपदीय डूडा स्तर की फाइल्स व्यवस्थित करना सुनिश्चित करें। सूचना न भेजने वाले जनपदों के संबंध में प्रत्येक माह की 07 तारीख को कार्यक्रम अधिकारी, सूडा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक